

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.2024	<p>राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान बनाम कोयली देवी किस्म मुकदमा : रेफरेन्स प्रकरण संख्या 4/2018</p> <p>राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी कोयली देवी पत्नि भीखाराम जाति हरिजन साकिन चूडियावास की मृत्यु हो चुकी है। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा अप्रार्थी कोयली देवी के कायम मुकाम की सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण अप्रार्थी कोयली देवी पत्नि भीखाराम की फौतगी की रिपोर्ट एवं कायम मुकाम की सूचना पेश नहीं जाने के कारण अनावश्यक रूप से न्यायालय में विचाराधीन है। मृतक व्यक्ति के विरुद्ध रेफरेन्स प्रकरण चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>अतः प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक अप्रार्थी कोयली देवी पत्नि भीखाराम जाति हरिजन निवासी चूडियावास तहसील नांगल राजावतान के वारिसान की जांच कर तलबी हेतु पूर्ण पता, संशोधित टाइटल एवं अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स नये सिरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p>( सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर ,दौसा</p>	



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

